



2026:AHC:12363

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 43211 / 2025

ज़ीशान अली

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपरीत पक्ष

आवेदकगण के अधिवक्ता : एहतेशाम अख्तर, वरिष्ठ अधिवक्ता

विपक्षी पक्षगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

श्री एस.एफ.ए. नक़वी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को, जिनकी सहायता श्री एहतेशाम अख्तर, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई, तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री याज़वल्क पांडेय को सुना गया और अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक ज़ीशान अली की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 117 सन् 2024, धारा 384, 406, 420, 465, 467, 471, 504, 506, 120बी भा.दं.सं. तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66, 72, थाना साइबर क्राइम, जनपद गौतम बुद्ध नगर में, अवर न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने का अनुरोध किया गया है। आवेदक द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमानत आवेदन को विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, गौतम बुद्ध नगर द्वारा दिनांक 31.10.2025 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया था तथा आवेदक दिनांक 17.09.2025 से कारागार में निरुद्ध है।

श्री एस.एफ.ए. नक़वी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, आवेदक की जमानत प्रार्थना का जोरदार समर्थन करते हुए यह दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे इस



वाद अपराध संख्या में दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों से झूठा फंसाया गया है। वर्तमान वाद अपराध संख्या से संबंधित प्राथमिकी (एफआईआर) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 174 (3) के अंतर्गत दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुपालन में दर्ज की गई थी। एफआईआर में यह आरोप लगाया गया है कि सूचना दाता, जो वस्त्र व्यवसाय से संबंधित है, एक औद्योगिक भूखंड की तलाश में था। सूचना दाता का परिचय शमशेर सिंह नामक व्यक्ति से कराया गया, जिसने सूचना दाता को प्लॉट संख्या F-42, सेक्टर-6, नोएडा, जिसका क्षेत्रफल लगभग 796 वर्ग मीटर है, दिखाया, जिस पर एक बेसमेंट, भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल निर्मित थे। विवादित भूखंड जी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में था तथा भारतीय बैंक, सुषांत लोक शाखा के पास गिरवी रखा गया था। आवेदक को जी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक बताया गया है। यह आरोप है कि 30.03.2023 को जी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और सूचना दाता के बीच ₹12,50,00,000/- के प्रतिफल पर विक्रय अनुबंध निष्पादित किया गया, इस शर्त के साथ कि विवादित भूखंड से संबंधित समस्त ऋण राशि का भुगतान करने के पश्चात 30.04.2023 तक आवेदक को नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। सूचना दाता द्वारा उक्त अनुबंध के अनुपालन में ₹7,25,00,000/- की राशि तथा ₹16,75,718/- की आवश्यक शुल्क राशि का भुगतान किया गया बताया गया है। नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी कराने हेतु सूचना दाता से ₹2,19,50,000/- की अतिरिक्त राशि बैंक में जमा करने के लिए भी मांगी गई। सूचना दाता को बैंक की मुहर तथा शाखा प्रबंधक एवं मुख्य प्रबंधक के हस्ताक्षरों सहित एक नो ड्यूज प्रमाण पत्र प्रदान किया गया बताया गया है। एफआईआर में यह आरोप लगाया गया है कि बैंक द्वारा जारी किया गया उक्त नो ड्यूज प्रमाण पत्र जाली पाया गया है। उक्त भूखंड के विरुद्ध ₹9,44,50,000/- की राशि का भुगतान किया जा चुका है, किन्तु अब तक हस्तांतरण ज्ञापन (ट्रांसफर मेमो) निष्पादित/सूचना दाता को प्रदान नहीं किया गया है।

श्री एस.एफ.ए. नकवी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने जोरदार तर्क प्रस्तुत किया है कि सूचना दाता और जी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मध्य विवाद मूलतः एक दीवानी विवाद है, जिसमें विक्रय अनुबंध के प्रवर्तन की मांग की जा रही है। आवेदक मात्र वेतनभोगी कर्मचारी है और उसे जी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया था तथा उसने कंपनी की ओर से निदेशक के रूप में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। आवेदक कंपनी के अध्यक्ष के निर्देशों के अधीन कार्य कर रहा था। सूचना दाता को विवादित भूखंड का कब्जा पहले ही दे



दिया गया है तथा वह उक्त भूखंड से अपना व्यवसाय संचालित कर रहा है। केवल हस्तांतरण ज्ञापन/विलेख के निर्गमन का प्रश्न शेष है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक जी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में वेतनभोगी कर्मचारी है, जिसमें एक प्रतिशत शेयर मकसूद मोहम्मद के पास है जबकि शेष 99% शेयर मोहम्मद वारिस के पास हैं, और आवेदक के पास, निदेशक होने के बावजूद, कंपनी की ओर से किसी भी वित्तीय लेन-देन को करने की कोई शक्ति या अधिकार नहीं है। दिनांक 11.12.2025 को आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है तथा आवेदक के विरुद्ध जांच पूर्ण हो चुकी है और अब उसे आगे किसी भी पुलिस हिरासत में पूछताछ हेतु जेल में निरुद्ध रखने की आवश्यकता नहीं है।

अंततः, आवेदक के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नकवी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान वाद को छोड़कर आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन देता है। यदि जमानत प्रदान की जाती है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। अतः जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों से छेड़छाड़ की युक्तिसंगत आशंका तथा प्रथमदृष्टया प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए, किन्तु वाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जमानत प्रदान किए जाने का आधार बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अतः अभियुक्त-आवेदक **ज़ीशान अली**, जो उपर्युक्त वाद अपराध संख्या में संलिप्त है, को व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, न्यायालय के संतोष के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्यों से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।



3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न प्रदान की जाए।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अवर न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्रता होगी।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

दिनांक : 05 जनवरी, 2026